न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 185/2015

हरदत्त सिंह पुत्र मंगत सिंह जाति मेहरा निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थी

बनाम

गुरदत्त सिंह पुत्र मंगत सिंह जाति मेहरा निवासी नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्त.अधि. 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 26.06.2015

उपस्थिति :–

श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री प्रदीप सिहाग अभिभाषक रेस्पों.

निर्णय दिनांकः 10.12.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/प्रार्थी/रेस्पों. ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राज.काश्त.अधि. की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि चक 17 जी. जी. के मु.नं. 33 व 37 की 4.011 है0 भूमि मृतक भगतसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। मृतक भगतसिंह वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 के पिता हैं। भगतसिंह द्वारा उक्त सम्पत्ति की वसीयत दिनांक 09.09.93 को करवा दी। उक्त भूमि पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी ब.हि.ब. काबिज हैं। प्रार्थी के कब्जा में मु.नं. 33 के कि.नं. 6 से 9 की 3.03 बीघा कब्जा काश्त में है। शेष भूमि पर अप्रार्थी अपने हिस्सा अनुसार काबिज हैं। अप्रार्थी प्रार्थी के कब्जा काश्त की भूमि में हस्तक्षेप करना चाहता है। अतः निवेदन है कि वाद के निर्णय तक अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वह मु.नं. 33 के कि.नं. 6 से 9

की 3.03है0 भूमि पर हस्तेक्ष न करें। अप्रार्थी ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर प्रा.पत्र को खारिज करने का निवेदन किया।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 26.06.2015 को प्रा.पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी कि वह मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाए रखें। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी/रेस्पों. ने वाद में अपनी बहनों को पक्षकार नहीं बनाया जबकि बहनों का भी हक व हिस्सा बनता है। बहनों द्वारा एक दस्तबरदारी अपीलांट के पक्ष में कर दी। इसके बाद अपीलांट का 11.10बीघा भूमि पर हक व हिस्सा बनता है जिस पर वह काबिज है। अपीलांट के पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही भूमि किलावाईज विभाजन करके दे दी थी। इसलिए अपीलांट के पिता को वसीयत करने की जरूरत नहीं थी। पिता की मृत्यु के बाद रेस्पों. द्वारा कि.नं. 6 से 9 की 3.03 बीघा भूमि पर कब्जा कर लिया एवं स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जो उचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय ने मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति रखने के आदेश दिये हैं जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस तथ्य बाबत कोई विवाद नहीं है कि अपीलांट व रेस्पों. आपस में भाई हैं। रेस्पों. का यह कथन है कि रेस्पों. के पिता द्वारा वसीयत कर रखी है जिसके आधार पर 3.03 बीघा भूमि पर रेस्पों. का कब्जा है जबकि अपीलांट का कथन है कि बहनों द्वारा अपीलांट के पक्ष में दस्तबरदारी कर रखी है। इसके आधार पर उनका 11.10 बीघा भूमि पर हिस्सा बनता है एवं तद्नुसार उसका मौके पर कब्जा काश्त है। अपीलांट व रेस्पों. द्वारा विवादित भूमि में अपने हक हिस्से के

क्लेम व उनके सम्बन्ध में उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों से सम्बन्धित उक्त सभी बिन्दुओं का निर्णय तो अधी. न्यायालय द्वारा वाद में किया जाना है। अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है कि मौके पर कब्जा दोनों का है एवं प्रथम दृष्टया केस रेस्पों. के पक्ष में मानकर अपीलांट/अप्रार्थी को पाबन्द किया है। पक्षकारान सगे भाई हैं एवं पारिवारिक भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व एवं कब्जे को लेकर विवाद है। ऐसी स्थिति में वाद के निर्णय तक अधी. न्यायालय ने मौका एवं रिकार्ड के सम्बन्ध में जो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है उसमें हमारे विचार से किसी भी पक्षकार को कोई क्षति होने की सम्भावना नहीं है एवं इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर